राजस्थान एंटी कन्वर्ज़न बिल 2025 के ख़िलाफ़ समन्वय

संगठनों का संयुक्त वक्तव्य,

राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित एंटी कन्वर्ज़न कानून 2025 की निंदा और अस्वीकृति करना !
राज्यपाल से अपील कि वे इस पर हस्ताक्षर न करें और राष्ट्रपति के पास भेजें
असंवैधानिक कानून के ख़िलाफ़ सक्रिय लॉबिंग करेंगे

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी, विनोबा ज्ञान मंदिर, जयपुर, 25 सितम्बर 2025

हम, हस्ताक्षरकर्ता संगठन, राजस्थान विधानसभा द्वारा 9 सितम्बर 2025 को पारित "राजस्थान अवैध धर्मांतरण निषेध विधेयक, 2025" की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसे अस्वीकार करते हैं। हम राज्यपाल से अपील करते हैं कि वे इस पर हस्ताक्षर न करें और अनुच्छेद 200 के तहत इसे राष्ट्रपति के पास भेजें। साथ ही हम इस असंवैधानिक विधेयक के विरोध में सक्रिय जन-अभियान चलाएँगे।

हमारा वक्तव्य चार भागों में है

1. इस कानून की निंदा और अस्वीकृति के तर्क।
2. राज्यपाल हस्ताक्षर न करें, हेतु रणनीति।
3. बीते दो सप्ताह में ईसाई समुदाय पर हुए हमले।
4. बिल का विश्लेषण।

हमारा दृष्टिकोण

इससे पहले ये राज्य ऐसा कर चुके हैं:

1. ओडिशा (1967)
2. मध्य प्रदेश (प्रारंभिक 1968, नया कानून 2021)
3. अरुणाचल प्रदेश (1978)
4. छत्तीसगढ़ (2000 और 2006)
5. तमिलनाडु (2002, 2006 में निरस्त)
6. गुजरात (2003, संशोधन 2021)
7. हिमाचल प्रदेश (2006, संशोधन 2019)

8. झारखंड (2017)
9. उत्तराखंड (2018)
10. उत्तर प्रदेश (2020, संशोधन 2024)
11. हरियाणा (2022)
12. कर्नाटक (2022)
13. राजस्थान (2025)

वर्तमान में 11 राज्यों में ये धर्मांतरण कानून लागू हैं, राजस्थान राज्यपाल की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है और तमिलनाडु ने 2006 में इसे निरस्त कर दिया था। राजस्थान अब 13वाँ राज्य बन गया है जिसने यह कानून पारित किया है। **यह विधेयक दमनकारी है और भाजपा द्वारा संघ की बहुसंख्यकवादी विचारधारा थोपने तथा अल्पसंख्यक समुदायों में भय पैदा करने का उपकरण है। अन्य राज्यों के कानूनों की तुलना में यह और अधिक कठोर, व्यापक और असंवैधानिक है।**

पिछले दो हफ़्तों में ही बिल के पेश और पारित होने के बाद ईसाई समुदाय पर 9 से अधिक हमले हो चुके हैं। घटनाएँ अलवर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, कोटपुतली-बेहर और जयपुर (मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र सहित) में हुई हैं। यह दिखाता है कि किस प्रकार इस कानून ने संघ से जुड़े संगठनों को अल्पसंख्यकों पर हमले करने का लाइसेंस दे दिया है और स्वयं राज्य पुलिस भी अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता को अपराध की तरह देखने लगी है। यह विधेयक खुलम खुले रूप में संविधान की धारा 14, 19, 21 एवं 25 का उल्लंघन है जिसे हम संगठन नहीं स्वीकारेंगे |

भाग ii : हमारी सामूहिक रणनीति

- राज्यपाल से मिलकर अनुरोध करना कि वे इस पर हस्ताक्षर न करें और राष्ट्रपति को भेजें।
- सभी समुदायों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के बीच संवाद और सार्वजनिक बहस आयोजित करना।
- राज्यभर में सभाएँ, रैलियाँ और सोशल मीडिया अभियान चलाना।
- राज्यपाल को हस्ताक्षर व पोस्टकार्ड अभियान भेजना।
- यदि यह कानून लागू होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देना।

2006 और 2008 में भी हम राज्यपाल को बिल पर हस्ताक्षर न करने और राष्ट्रपति को भेजने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित कर चुके हैं।

भाग – III

ईसाई समुदाय पर हमले, एफआईआर और पुलिस द्वारा डराने-धमकाने की घटनाएँ

3 सितम्बर से, जब यह कानून दोबारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, उसके बाद से अब तक 10 घटनाएँ हमारे संज्ञान में आई हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो सरकार का संदेश सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एसपी और थानों तक पहुँचा दिया गया हो कि अब वे किसी भी ईसाई को डराने-धमकाने के लिए स्वतंत्र हैं और बजरंग दल/वीएचपी व अन्य संगठनों को खुली छूट दे दी गई है। उनके तोड़फोड़ या गुंडागर्दी वाले कृत्यों पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। उनकी शिकायतों को संज्ञान में लिया जाएगा, जाँच बैठाई जाएगी और ईसाई पादरियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

अलवर, कोटपुतली–बहरोड़, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर और जयपुर – इन छह जिलों में कुल 10 घटनाएँ रिपोर्ट हुई हैं। इनमें से नौ मामलों में पुलिस ने ज्यादातर बजरंग दल और वीएचपी के पक्ष में हस्तक्षेप किया। दो स्थानों पर पादरियों की गिरफ्तारी भी की गई। इन दक्षिणपंथी ताकतों के खिलाफ एफआईआर सिर्फ एक मामले में, जयपुर में दर्ज हुई।

सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि जयपुर के प्रताप नगर में, जो मुख्यमंत्री का ही विधानसभा क्षेत्र है, लगातार ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं। यहाँ थाने और बजरंग दलियों को खुली छूट है कि वे जैसा चाहें वैसा करें। न कोई गिरफ्तारी, न कोई रोक-टोक, न ही घायलों का चिकित्सकीय परीक्षण। यह दर्शाता है कि इन जिलों की पुलिस पूरी तरह से समझौता कर चुकी है और इन घटनाओं में संलिप्त है।

हम माँग करते हैं कि इन मामलों में दक्षिणपंथी गुंडों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, दर्ज की गई सभी एफआईआर की निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जाँच हो तथा पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जो इन मामलों में पूरी तरह मिलीभगत में शामिल हैं।

भाग iv : कानून का संक्षिप्त विश्लेषण

- धारा 2 में प्रलोभन की परिभाषा इतनी व्यापक है कि साधारण बातचीत भी अपराध मानी जा सकती है, जिसकी सज़ा 7 से 14 साल कैद और 5 लाख तक जुर्माना है। धारा 5 में आरएसएस की “लव जिहाद” की अवधारणा भी शामिल की गई है, जिसकी सज़ा 20 साल कैद और 25 लाख तक जुर्माना है।
- जैसे अन्य राज्यों में, राजस्थान में भी यह कानून “घर वापसी” पर लागू नहीं होगा। धारा 3(4) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने “मूल धर्म” में लौटता है तो इसे धर्मांतरण नहीं माना जाएगा और अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। “मूल धर्म” की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, मानो हिंदू धर्म

को इस क्षेत्र का डिफ़ॉल्ट धर्म घोषित किया जा रहा हो। यह बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म समेत सभी धर्मों पर हिंदू धर्म की सर्वोच्चता थोपने का प्रयास है।

- धारा 5 में सामूहिक धर्मांतरण (दो या अधिक व्यक्तियों का एक साथ धर्म परिवर्तन) को अपराध घोषित किया गया है। इससे डॉ. भीमराव अंबेडकर का 1956 में नागपुर में किया गया ऐतिहासिक बौद्ध धर्मांतरण भी अपराध माना जाएगा। इसी तरह मीनाक्षीपुरम (तमिलनाडु, 1980) और कुम्हेर (राजस्थान, 1992) जैसी ऐतिहासिक घटनाएँ भी अब "सार्वजनिक व्यवस्था" के विरुद्ध बताई जाएँगी और आजीवन कारावास व 25 लाख जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी।
- राजस्थान धर्मांतरण विधेयक 2025 न्यायालय की कसौटी पर नहीं टिकेगा क्योंकि यह अनिवार्य कठोर सजाएँ देता है—7 साल से आजीवन कारावास तक और 30 लाख तक जुर्माना। यदि कोई संगठन दोषी पाया जाता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और बुलडोज़र कार्रवाई की जा सकती है।
- यह कानून सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ के निजता अधिकार निर्णय का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि धर्मांतरण की प्रक्रिया में 60 दिन पहले आवेदन देना और सार्वजनिक सूचना बोर्ड पर नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है, जो व्यक्ति की निजी आस्था और पसंद के अधिकार का उल्लंघन है।
    - यह बिल विधायी क्षमता (Legislative Competency) पर भी सवाल खड़ा करता है क्योंकि विषय केंद्रीय सूची (List I और III) में आता है।
    - यह धर्म-प्रचार (propagate) के मौलिक अधिकार की भी गलत व्याख्या करता है।

हमारी माँग

- क्योंकि यह कानून दमनकारी है, असंवैधानिक है और अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का खुला उल्लंघन करता है, अतः इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए।

✍️ संयुक्त रूप से जारी **सिविल सोसाइटी संगठनों की ओर से**

सवाई सिंह, जॉन मैथ्यू, मुज़म्मिल रिज़वी

समन्वय के संगठन निम्न हैं

जयपुर क्रिश्चियन फेलोशिप
राजस्थान समग्र सेवा संघ
PUCL
APCR Rajasthan
राजस्थान बौद्ध महासंघ
NFIW
AIDWA

दमन प्रतिरोध आंदोलन, राजस्थान
यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ़ इंडिया(YBS)
जमाअत-ए-इस्लामी, राजस्थान
जमीअत उलेमा-ए-हिन्द
SDPI, राजस्थान
राजस्थान नागरिक मंच
दलित मुस्लिम एकता मंच, राजस्थान
वेलफ़ेयर पार्टी ऑफ़ इण्डिया राजस्थान
अम्बेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया राजस्था